मय इनीशियल्स जज

13/2/18

पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा पेश हुआ, जो शा0मि0 किया गया। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किये कि पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है, ग्राम नयांगाव अहीरान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 631/580 रकबा 1.63 हे0, ख0नं0 632/582 रकबा 3.67 हे0, ख0नं0 633/583 रकबा 0.42 हे0, ख0नं0 634/266 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 4 रकबा 5.87 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम सजीवकुमार पुत्र मोतीलाल के स्थान पर संजय पुत्र मोतीलाल दर्ज किये जानें में पूर्ण सहमति है तथा प्रतिवादी नं0 2 व 3 का नाम उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से डिलीट कर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 को 1/3 हिस्से का समभाग में खातेदार घोषित किये जानें में पूर्ण सहमति है, क्योकि प्रतिवादी नं0 2 गायत्री व प्रतिवादी नं0 3 कान्तीबाई ने पूर्व में ही अपनें हिस्से की आराजी वादी संजय उर्फ सजीवकुमार एवं प्रतिवादी नं0 1 नन्दबिहारी के पक्ष में मौखिक हकत्याग कर दी है तथा ना ही प्रतिवादी नं0 2 व 3 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त ही रहा है। राजीनामा प्रस्तुत कर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने निवेदन किया कि वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावें।

राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया। उभयपक्ष ने राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जानें की सहमति प्रकट की तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर/अंगूठा अंकित किये। प्रस्तुत राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा विधिक विचारण किया। विवादित आराजी वाके ग्राम नयांगाव अहीरान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 631/580 रकबा 1.63 हे0, ख0नं0 632/58...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
633/583 रकबा 0.42 हे0, ख0नं0 634/266 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 4 रकबा 5.87 हे0 भूमि में से 1/3 हिस्सा नन्दबिहारी सजीव कुमार पुत्रान मोतीलाल गायत्री पुत्री कान्तीबाई बेवा मोतीलाल की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है, जो जमाबंदी सं0 2070–73 खाता नं0 87 वाके ग्राम नयागांव अहीरान से प्रमाणित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सजीवकुमार अंकित है, किन्तु वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का नाम सजीवकुमार के स्थान पर संजय दर्ज करनें एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की सहमति प्रकट की है, जिसके सम्बन्ध में वादी की ओर से छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र, छायाप्रति पेन कार्ड, छायाप्रति भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत मूण्डला द्वारा दिनांक 28.11.2018 को जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तावेजों में वादी का नाम संजय ही अंकित है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया है कि संजीवकुमार व संजय दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। प्रतिवादी नं0 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन किये गये है कि वादी का नाम संजय उर्फ संजीवकुमार पुत्र मोतीलाल दर्ज किया जाना माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है। प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा में प्रतिवादी नं0 2 व 3 ने अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में मौखिक हकत्याग कर देनें के कथन किये है, किन्तु मौखिक हकत्याग को कानूनन मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है। उभयपक्ष की ओर से हकत्याग के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। किन्तु राजीनामा में प्रतिवादी नं0 2 व 3 ने अपना–अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में छोडे जानें की स्वीकृति प्रदान की है। चूंकि प्रतिवादी नं0 2 व 3 नें अपनें हिस्से की आराजीयात् वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में छोडनें की लिखित सहमति प्रकट की है, जिसका उल्लेख उभयपक्ष ने राजीनामा में किया है। वादी का नाम दुरूस्त करनें हेतु प्रतिवादी नं0 1 नन्दबिहारी, प्रतिवादी नं0 2 गायत्री, प्रतिवादी नं0 3 कान्तीबाई ने वादी का नाम दुरूस्त करनें एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 ने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में छोडनें बाबत् शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। वैसे भी कानूनन माता एवं बहिने अपनें पत्र	

नं0 1 उक्त छोडे गये हिस्से को ग्रहण करनें एवं खातेदार घोषित होनें के अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 2 व 3 द्वारा अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में छोडे जानें के फलस्वरूप राजकीय हानि होना जाहिर होता है। प्रकरण में वादी द्वारा खातेदारी घोषणा एवं दुरूस्ती की रिलीफ चाही गई है, जो मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

परिणामतः वाद वादी उभयपक्ष की सहमति के आधार पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नयांगाव अहीरान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 631/580 रकबा 1.63 हे0, ख0नं0 632/582 रकबा 3.67 हे0, ख0नं0 633/583 रकबा 0.42 हे0, ख0नं0 634/266 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 4 रकबा 5.87 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम सजीवकुमार पुत्र मोतीलाल के स्थान पर संजय उर्फ सजीवकुमार पुत्र मोतीलाल दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादी नं0 2 गायत्री व प्रतिवादी नं0 3 कान्तीबाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड से डिलीट किया जावें। प्रतिवादी नं0 2 व 3 का नाम डिलीट किये जानें के परिणामस्वरूप वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 को विवादित आराजी के 1/3 हिस्से में बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं0 2 व 3 द्वारा विवादित आराजी में से अपनें स्वत्व छोडनें के सम्बन्ध में तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क वसूल कर पालना करें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 13/12/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद